जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/महा.वि.प./2011/ 3603 दिनांकः 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दतिया

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. मनेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. आर.एस. पवार, प्राचार्य, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपिः-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. **प्राचार्य, कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दतिया** की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य प्रदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5107

दिनांक : 13/7/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार **कॉलेज ऑफ एडवान्स स्टडीज, दतिया** को सत्र 2010-11 के लिये **बी.बी.ए द्वितीय वर्ष, तथा बी.सी.ए. द्वितीय** एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.ए. प्रथम वर्ष, (आ.पा. हिन्दी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र)**, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्ते/प्रतिबंध :-

1. कम्प्यूटर लैब में दो नये कम्प्यूटर क्रय किये जावे, एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लीगल सोफ्टवेयर छात्रों की संख्या के आधार पर क्रय किये जावें।
2. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जावे। यह नियुक्तियाँ एक महीने में करके विश्वविद्यालय को सूचित किया जावें।
3. पुस्तकालय हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रथक-प्रथक 15,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।
4. खेल मैदान को विकसित किया जावे तथा लगभग 10,000/- की खेल सामग्री भी क्रय की जावे।
5. अधोसंरचना हेतु परिनियम 27 का पालन किया जावे। बी.ए. प्रथम वर्ष में 60 सीटें तय की जा सकती है।
6. चूँकि सत्र 2010-11 के छात्र परीक्षा में बैठ चुके है इसलिये छात्र हित में अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है।
7. महाविद्यालय प्रबन्धक उपर्युक्त शर्तों का पालन करे, अन्यथा अगले सत्र से विश्वविद्यालय के अधीन सम्बद्धता सम्बन्धी निर्णय होगा।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **कॉलेज ऑफ एडवान्स स्टडीज, दतिया**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)